

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :- 137/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सोनी निवासी झूठा गली, रायपुर तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. जिला कलक्टर महोदय, पाली। 2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत
2. नन्द किशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सोनी निवासी मैन बस स्टेण्ड, बाजार की गली, धामली तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज0।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-



1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 16/10/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा, भू0अ0नि0 क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के सिवायचक खसरा नम्बर 741 रकबा 1.6000 है0 की कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 738 रकबा 1.3500 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा रेपड़ावास के खसरा नंबर 299 कृषि भूमि में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरसीम किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनों बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अन्त्यांतिक

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध वरुते मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2025/577 दिनांक 06.05.2025 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम देवली हुल्ला के ख0नं0 738 में आवागमन हेतु खातेदारों द्वारा ख0नं0 741 में से रास्ते की मांग की गई। ख0नं0 741 किस्म बा0अ0 सिवायचक राजस्थान सरकार हैं। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार कोई रास्ता नहीं है। राजस्व रेकॉर्ड व मौका अवलोकन करने पर प्रार्थीगण के वैकल्पिक रास्ते का विवरण मय नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ते ग्राम की आबादी से 3 कि0मी0 दूर है। ख0नं0 741 में अतिक्रमण कर फसल बो रखी हैं। अतिक्रमी के विरुद्ध एल0आर0 एक्ट 91 के तहत पृथक से कार्यवाही की गई हैं। ख0नं0 740 भी सिवायचक राजस्थान सरकार किस्म बा0अ0 है, मौके पर रास्ता बना (ग्रेवल) हुआ है, जो लाडपुरा जाने वाली रोड से जुड़ता है। यह डामर सड़क प्रस्तावित रास्ते से 400 मीटर दूरी पर है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 235000/- रुपये प्रति हैक्टर है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत्त चण्डावल की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि ख0नं0 738 में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा देवली हुल्ला के खसरा नंबर 741 कृषि भूमि में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की हैं। जवाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकॉर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुँच हेतु राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चण्डावल, पटवारी हल्का की रिपोर्टनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 738 में पहुंच हेतु निकटतम रास्ता सी से डी सिवायचक खसरा नं0 741 से होकर ख0नं0 740 में बने ग्रेवल सड़क तक जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के



उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 741 रकबा 1.6400 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 738 रकबा 1.3500 है0 में पंहुचने हेतु सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (235000/- रू0 × 2 × 0.0288 है0 = 13536/- रुपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

क0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्लिद्यत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रुपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	741 बा0अ0	1.6400 है0	राज0 सरकार	96 मी0 × 3 मी0 = 0.0288 है.	13536/-रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावे। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



(मासिंगा राम)

सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)

सहायक कलक्टर, सोजत